

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांक-1664

दिनांक-01.06.2026

आदेश

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के आदेश क्रमांक स्था./2026/15598 दिनांक 29.05.2026 की अनुपालना में न्यायालय का कार्य सुचारु, सुगमता से सम्पादित किये जाने के उद्देश्य से इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए एन.ई.बी एवं अखैपुरा थाना में उद्भूत होने वाले (एन.आई.एक्ट. से सम्बन्धित) प्रकरणों का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट(एन आई एक्ट कैसेज) संख्या-3, अलवर अलवर को आबंटित किया जाता है।

नोट-

1. इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित पूर्व शेष आदेश यथावत रहेंगे।
2. दिनांक 01.06.2026 को या उसके बाद उपरोक्त थानों से संबंधित एन.आई.एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण व समस्त कागजात न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट(एन.आई.एक्ट कैसेज) संख्या-3, अलवर अलवर में ही पेश किये जावें।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो।

(डॉ. नेहा गोयल)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

अलवर (राज.)

क्रमांक-1665-72

दिनांक-01.06.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ सादर प्रेषित है-

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर
02. श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर
03. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर
04. कार्यालय प्रति/अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, अलवर
05. न्यायालय-अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-6, अलवर (NI-3 A/war)
06. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेश को साईट पर अपलोड कर समस्त न्यायालय, अलवर न्यायक्षेत्र को ई-गेल करें)
07. सम्बन्धित थाना

(डॉ. नेहा गोयल)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

अलवर (राज.)